छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर

<u>प्रकाशनार्थ</u>

छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर

सी.एस.जे.एम.यू./उ.कु.स.(प्रशा.)/2156/2013 दिनांक: 03.09.2013

अल्पकालिक निविदा सूचना

विश्वविद्यालय की परीक्षाओं/अन्य कार्य के लिए सक्षम फर्मों/एजेंसियों से वाहन दरों हेतु निविदा दिनांक: 10.09.2013 को अपराह्न 2.00 बजे तक उपकुलसचिव (प्रशा.) के कक्ष में रखे टेण्डर बॉक्स में जमा की जा सकती है, जो कि उसी दिन अपराह्न 3.00 बजे सभाकक्ष में खोली जायेंगी। निविदादाता निविदा प्रपत्र वि0वि0 के कैश काउन्टर से रु0 200.00 नकद जमा कर अथवा वि0वि0 की वेबसाइट **www.kanpuruniversity.org** से डाउनलोड कर रु. 200.00 का बैंक ड्राफ्ट वित्त अधिकारी, सी.एस.जे.एम.यू., कानपुर के पक्ष में देय हो संलग्न कर जमा कर सकते हैं। निविदा प्रपत्र, शर्तें एवं अन्य विवरण वि0वि0 की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। (सय्यद वकार हुसैन), कुलसचिव

(सय्यद वकार हुसैन)
कुलसचिव

Gram : University

Ph. : 2570301
Fax : 2570006

छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर
CHHATRAPATI SHAHU JI MAHARAJ UNIVERSITY, KANPUR

कल्यानपुर, कानपुर
KALYANPUR, KANPUR

Ref. No.: C.S.J.M.U./ D.R.(Admin.)/ 2155 /2013

Date : 03.09.2013

क्रमांक:

मूल्य रु0 200/– (दो सौ मात्र)

निविदा प्रपत्र

विश्वविद्यालय की परीक्षाओं/अन्य कार्य हेतु ट्रैवेल्स एजेंसियों से वाहन दरों हेतु **दिनांक: 10.09.2013** को अपराह्न 2:00 बजे तक, जिन्हें सम्बन्धित कार्य करने का अनुभव हो, उनसे मुहरबंद निविदायें आमंत्रित की जाती है, जो कि उसी तिथि को अपराह्न 3:00 बजे उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष विश्वविद्यालय परिसर स्थित प्रशासनिक भवन के द्वितीय तल स्थित सभा कक्ष में खोली जायेगी। निविदा प्रपत्र के लिफाफे के ऊपर **"ट्रैवेल्स एजेंसी से वाहन दरों हेतु निविदा–2014"** लिखना आवश्यक है। निविदा प्रपत्र में निर्धारित धरोहर राशि रु0 50,000/– (रुपये पचास हजार मात्र) बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक के रूप में **'वित्त अधिकारी, छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर** के नाम जमा करना आवश्यक है। बिना धरोहर धनराशि के निविदा पत्र पर विचार नहीं किया जायेगा। अपेक्षित निविदा प्रपत्र विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.kanpuruniversity.org से भी डाउनलोड किये जा सकते हैं। किन्तु डाउनलोड किये गये निविदा प्रपत्र के साथ रु0 200/– (रुपये दो सौ मात्र) का बैंक ड्राफ्ट संलग्न करना होगा। बैंक ड्राफ्ट वित्त अधिकारी, छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर के नाम से कानपुर में देय होगा।

कुलसचिव

निविदा प्रपत्र का विवरण निम्नवत् है :–

1. ट्रैवेल्स एजेंसी का नाम व पता : ....
....
....
2. ट्रैवेल्स एजेंसी की पंजीकरण संख्या : ....
3. ट्रैवेल्स एजेंसी का टैन नं0 : ....
4. ट्रैवेल्स एजेंसी के स्वामी का पैन नं0 : ....
5. निविदा प्रपत्र क्रय करने सम्बन्धी विवरण–
बैंक ड्राफ्ट/रसीद सं0 .... दिनांक: .... बैंक का नाम...........................
6. सुरक्षा धनराशि रु0 50,000/– (रुपये पचास हजार मात्र) का विवरण:
बैंक ड्राफ्ट/रसीद सं0 .... दिनांक: ....

...

फर्म द्वारा प्रस्तुत दरें :–

क्र. सं.	वाहन का प्रकार	स्थानीय किराया (250 किमी. तक)	बाहर का किराया (250 किमी. से अधिक	नाइट चार्ज एवं अन्य
1.	मारूति वैन			
2.	टाटा सूमो, इण्डिका, बुलेरो (नॉन ए.सी.)			
3.	टाटा सूमो, इण्डिका, बुलेरो (ए.सी.)			
4.	क्वालिस, इन्नोवा, टवेरा, स्कार्पियों, इण्डिगो आदि लक्जरी गाड़ियाँ			
5.	डी0सी0एम0 / आयसर / ट्रक			
6.	छोटा हाथी / लोडर			

क्रमांक–5 एवं 6 पर उल्लिखित वाहनों हेतु उल्लिखित दर कितने वजन हेतु प्रस्तुत की गयी है, इसका भी उल्लेख करें।

आवेदक के हस्ताक्षर

आवश्यक शर्तें एवं निर्देश :–

1. ट्रैवेल्स एजेंसी द्वारा रु0 100/– के स्टाम्प पेपर पर वित्त अधिकारी, छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर से अनुबन्ध करना होगा।

2. ट्रैवेल्स एजेंसी द्वारा रु0 50,000/– (रुपये पचास हजार मात्र) की सुरक्षा धनराशि का बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक, जो कि वित्त अधिकारी, छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर के पक्ष में देय हो, संलग्न करना अनिवार्य होगा। बिना सुरक्षा धनराशि के आपकी निविदा पर विचार करना संभव नहीं होगा।

3. वाहन का पंजीकरण व कम्प्रीहैंसिव बीमा अद्यतन होना अनिवार्य है।

4. चालक को सम्पूर्ण रूप से प्रशिक्षित होना चाहिए। चालक के पास नवीनीकृत ड्राइविंग लाइसेंस होना अनिवार्य है।

5. किराये पर लिये गये वाहन का रख–रखाव तथा उस पर आने वाला सम्पूर्ण व्यय एजेंसी को वहन करना होगा।

6. चालक का वेतन तथा विधिक कार्यवाही की जिम्मेदारी एजेंसी की होगी।

7. कार्य समाप्त होने के पश्चात् अनुबन्ध के अनुरूप बिल प्रस्तुत करने होंगे तथा अलग–अलग कार्य का अलग–अलग बिल प्रस्तुत करना होगा। बिलों में सम्बन्धित कार्यों का विधिवत उल्लेख करना होगा एवं बिल सम्बन्धित अधिकारी/सहायक द्वारा सत्यापित होना चाहिए।

8. अनुबन्ध में जो दरें तय होगी निविदा के अनुरूप वह केवल एक सत्र के लिए मान्य होंगी।

9. निविदा हेतु सुरक्षा धनराशि के रूप में जमा की जाने वाली धनराशि केवल बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक के रूप में ही मान्य होगी। सुरक्षा धनराशि के रूप में राष्ट्रीय बचत पत्र/एफ0डी0आर0/बियरर चेक/आर्डर चेक/एकाउंट पेयी चेक संलग्न किये जाने पर निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।

10. एजेंसी को किसी सरकारी/अर्द्ध सरकारी कार्यालय में कार्य करने का अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

11. ट्रैवल्स एजेंसी के पंजीकरण प्रमाण–पत्र की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है।

12. ट्रैवल्स एजेंसी के स्वामित्व में कितनी गाड़ियाँ है, उनका विवरण तथा स्वामित्व के अभिलेख भी संलग्न करना अनिवार्य है।

13. विश्वविद्यालय को यह अधिकार है कि वह एक अथवा समस्त निविदाओं को बिना कारण बताये निरस्त कर दे। किसी भी प्रकार से अपूर्ण निविदा स्वीकार नहीं होगी।

14. फर्म द्वारा दरें संलग्न प्रपत्र पर ही प्रस्तुत की जायें अन्यथा निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।

कुलसचिव